

**झारखंड सरकार**  
**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग**

**अधिसूचना**

राँची, दिनांक 16 / 01 / 2019 ई०।

संख्या: 12/प्रो०-08-04/2014 का०.....403...../झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्री सुरेन्द्र प्रसाद, वरीय प्रधान आप्त सचिव (कोटि क्रमांक-05) (वेतनमान पी०बी० III रू० 15600-39100/-, ग्रेड वेतन-रू० 7600, पुनरीक्षित **Level-12**), योजना-सह-वित्त, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रधान कर्मचारीवृन्द अधिकारी (वेतनमान पी०बी० IV रू० 37400-67000/-, ग्रेड वेतन-रू० 8700, पुनरीक्षित **Level-13**) कोटि में प्रोन्नति दी जाती है।

2. संबंधित नवप्रोन्नत पदाधिकारी को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 के आलोक में पदस्थापन के उपरांत पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ देय होगा।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से



(सतीश कुमार जायसवाल)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-12/प्रो०-08-04/2014 का०.....403...../ राँची, दिनांक-16 / 01 / 2019 ई०।  
प्रतिलिपि:-  नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा तथा श्री सुरेन्द्र प्रसाद, वरीय प्रधान आप्त सचिव, (संप्रति नवप्रोन्नत प्रधान कर्मचारीवृन्द अधिकारी), योजना-सह-वित्त, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।

ब